कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल

rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक/विधि/मुकदमा नीति/2021/40 भोपाल, दिनांक 18/01/2021

--आदेश--

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक/फा. क./1843/21-ब(एक)/2018, दिनांक 27.04.2018 (म.प्र.राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2018) से मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 का प्रकाशन किया गया है । उक्त नीति की कण्डिका 20 के अंतर्गत सेवा मामलों में यथाप्रवृत्त नियमों, निर्देशों या नीतिगत विनिश्चयों के अनुसार अनुतोष प्रदान नहीं किए जाने के कारण उदभूत वाद के संबंध में न्यायालय में मामला पहुँचने के पूर्व मुकदमें बाजी की संख्या को कम करने के लिए मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कण्डिका 20 के अंतर्गत सेवा संबंधी मामलों में कण्डिका 20.4 के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति जिला मजिस्ट्रेट या उनके नाम निर्देशिति की अध्यक्षता में गठित की जाना है । उक्त निर्देश के पालन हेतु जिलों के उप/सहायक पंजीयकों को कार्यवाही हेतु लिखा गया था, परन्तु अधिकांश जिलों में शिकायत निवारण समिति गठित नहीं की गई है ।

अतः सहकारिता विभाग के सभी जिलों के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता है :-

1. जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामनिर्देशिति अधिकारी- अध्यक्ष
2. जिला के उप /सहायक पंजीयक (कार्यालय प्रमुख)- सदस्य
3. स्थापना कक्ष प्रभारी - सदस्य/सचिव

उक्त समिति सेवा संबंधी मामलों में प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई उपरांत म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कण्डिका 20 के अंतर्गत प्रकरण निराकृत करेगी । जिले के उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता प्राप्त एवं निराकृत होने वाले प्रकरणों की संख्या से प्रतिमाह मुख्यालय को तथा संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन) को अवगत कराएंगे ।

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(डॉ.एम.के.अग्रवाल)
आयुक्त,सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

desktop/vidhi section/letter

पृ0क्रमांक / विधि / मुकदमा नीति / 2021 / 40 भोपाल, दिनांक 18/01/2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश ।
3. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर / ग्वालियर ।
6. संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, इन्दौर ग्वालियर ।
7. संयुक्त आयुक्त सहकारिता समस्त संभाग मध्यप्रदेश ।
8. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) मुख्यालय की ओर सूचनार्थ ।
9. उप / सहायक आयुक्त, सहकारिता समस्त जिले म.प्र. की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त,सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

desktop/vidhi section/letter